165

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 3173-दो/2015 - विरूद्ध आदेश दिनांक 22-12-2014 - पारित द्वारा - कलेक्टर जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक 05 अ- 19/ 2014-15 स्वमेव निगरानी

सुनील सिंह पुत्र बद्री सिंह
निवासी अँगूरी बिल्डिंग
सिरमौर चौराहा रीवा,म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1- कृष्णदत्त पुत्र महाराज ब्राहमण
2- उदयनारायण पुत्र राजमन सरवदना
व विलायत लीलावती सा. सतना
3- विवके कुमार पुत्र विजयशॅकर मिश्रा नावालिक
विलायत शांतिदेवील पत्नि विजयशंकर सा.सतना
4- कु0 उर्मिला बनर्जी पुत्री स्व0 नित्यानन्द भट्टाचार्य
5- श्रीमती सुशील पत्नि स्व0 नित्यानन्द भट्टाचार्य
6- श्रीमती निर्मला पत्नि स्व0 नित्यानन्द भट्टाचार्य
7- श्रीमती कमला पत्नि रावेन्द्र बहादुर सिन्हा
8- श्रीमती संध्या पत्नि हरिनारायण चक्रवर्ती
9- श्रीमती सुचारू पत्नि अमियकुमार चक्रवर्ती
10-अमियकुमार पुत्र रत्नेश्वर चक्रवर्ती
11-अनंतकुमार पुत्र अतमियकुमार चक्रवर्ती
सभी निवासी देवीघाट उपरहटी तहसील हुजूर जिला रीवा
12-श्रीमती निशा पत्नि हरिचरण चटर्जी
13-श्रीमती आशा पत्नि वीरेन्द्रकुमार चटर्जी
दोनों निवासी रामपुरा कालोनी जबलपुर

कृ0पृ030-2

14- उदयनारायण पुत्र राजमणि द्विवेदी
15- श्रीमती लीलावती पत्नि राजमणि द्विवेदी
दोनों निवासी ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा
16- विवेक कुमार पुत्र विजयशंकर मिश्र
17- श्रीमती शांति पत्नि विजयशंकर मिश्र
दोनों निवासी धवारी टोला सतना
तहसील रघुराजनगर जिला सतना
18- श्रीमती मीतासिंह पत्नि सुनीलसिंह
19- श्री साई एज्युकेशन एज्युकेशन एंड वेलफेयर
सोसायटी रीवा
20- म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर जिला रीवा ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री हिमॉशु शुक्ला एंव श्री जी0पी0नायक)
(अनावेदक 20 के पैनल लायर श्री अनिल श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 27-10-2017 को पारित)

कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 05 अ- 19/ 2014-15 स्वमेव निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22-12-2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कलेक्टर जिला रीवा ने न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 1745-तीन/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-8-2014 की कंडिका 8 के अंतिम लायन " **कलेक्टर रीवा प्रश्नाधीन भूमियों के सम्बन्ध में जांच करने के लिये स्वतंत्र हैं** " पर से आवेदक के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण पॅजीबद्ध किया एंव अंतरिम आदेश दिनांक 22-12-14 पारित करके आवेदक को कारण बताओ नोटिस कमांक 05 अ- 19/ 2014-15 स्वमेव निगरानी दिनांक 22-12-14

जारी किया। कलेक्टर रीवा के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव अनावेदक क-20 के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक तथा म0प्र0शासन के पैनल लायर के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण में पृष्ठ कमांक 57 पर अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 337 अ-6/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 22-3-2007 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम करहिया की आराजी नंबर 2 एंव बटा नंबर 2 से 7 मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने के आदेश हुये हैं। अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 337 अ-6/ 2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-3-2007 के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी कमांक 440/2006-07 प्रस्तुत की गई है जिसमें पारित आदेश दिनांक 19-2-2008 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति कलेक्टर रीवा के प्रकरण में पृष्ठ 61 से 63 पर संलग्न है जिसमे हुये निर्णय के अनुसार अपर कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 22-3-2007 को निरस्त किया गया है फलस्वरूप वाद विचारित भूमि निगरानीकर्ता के नाम रही। इसी निगरानीकर्ता ने वाद विचारित भूमि आवेदक को विकय की है जिसका भूमिस्वामी आवेदक है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा निगरानी कमांक 440/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 19-2-2008 अपील/निगरानी के अभाव में आज की स्थिति में अंतिम होकर Res-judicata है। वरिष्ठ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग,रीवा के आदेश दिनांक 19-2-2008 को नजरन्दाज करते हुये कलेक्टर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 05 अ- 19/ 2014-15 स्वमेव निगरानी में अंतरिम आदेश दिनांक 22-12-14 पारित करके वाद विचारित भूमियों की पुनः जांच करने का त्रुटिपूर्ण निर्णय लिया है जिसके कारण कलेक्टर रीवा द्वारा लिया गया निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक ने पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से निम्न भूमियॉ क्रय की है :-

विक्रय पत्र दिनांक	भूमि सर्वे क्रमांक	रकबा
26-4-2013	1	3.58 एकड़
	4	1.43 एकड़
18-9-2008	2/5	0.322 हैक्टर
31-8-2007	2/1, 2/2, 2/4 2/6 एंव 2/7	

उप पंजीयक ने उपरोक्त सर्वे नंबरों की भूमियों के विक्रय पत्र तभी संपादित किये है, जबकि वादविचारित भूमियां शासन के संधारित राजस्व अभिलेख में विकेतागण के नांम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज होना प्रमाणित पायी हैं। भूमि के विक्रय पत्र संपादित होने के वाद राजस्व अधिकारियों ने अभिलेख की छानवीन एंव जॉच करके केता आवेदक का नाम शासकीय अभिलेख में नामांत्रण किया है विचार योग्य है कि विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अधिकारियों व्दारा पारित नामान्तरण आदेश अपील के अभाव में स्थिर है जिन पर Res-judicata लागू है, तब क्या वाद विचारित भूमि मध्य प्रदेश शासन की घोषित करने के उद्देश्य से स्वमेव निगरानी पॅजीबद्व कर कार्यवाही की जा सकती है ? **अमरदीप गृह निर्माण सहकारी संस्था विरूद्व गिरवर 2006 रा0 नि0 330 एंव बद्रीप्रसाद विरूद्व चतुर्भुज 1984 रा0 नि0 5 के न्याय दृष्टांत हैं कि जब विक्रय विलेख रजिस्ट्रीकृत हो तब राजस्व न्यायालय उसकी विधिमान्यता की जांच नहीं कर सकते, व्यथित व्यक्ति सिविल न्यायालय में जा सकता है। इसी प्रकार दीपलैण्ड स्पेयर्स एंड डेवलपर्स प्रा0लि0 इंदौर विरूद्व रणु परमार 2015 रा0नि0 480 में व्यवस्था दी गई है कि राजस्व न्यायालय रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख पर नामान्तरण करने के लिये आबद्व है।** पाया गया कि आवेदक व्दारा पॅजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गई भूमि एंव उस पर हुये नामान्तरण आदेश के विरूद्व कलेक्टर रीवा स्वमेव निगरानी पॅजीबद्व कर कार्यवाही करने हेतु सक्षम नहीं है।

5/ कलेक्टर रीवा ने अंतरिम आदेश दिनांक 22-12-14 में स्वमेव निगरानी पॅजीबद्व करने के लिये - न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 1745-तीन/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-8-2014 की कंडिका 8 के अंतिम लायन " **कलेक्टर रीवा प्रश्नाधीन भूमियों**

के सम्बन्ध में जांच करने के लिये स्वतंत्र हैं " - आधार माना है। न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-8-2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन पर आदेश के पद 8 में की गई विवेचना एंव निष्कर्ष पर स्थिति इस प्रकार है-

" मान0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने रणवीर सिंह विरूद्व मध्यप्रदेश शासन 2010 राजस्व निर्णय 409 में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग आदेश की अवैधता या अनौचित्यता तथा कार्यवाहियों की अनियमितता की जानकारी के दिनांक से 180 दिवस के भीतर प्रयुक्त की जाना चाहिये। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण 19 अ-6/96-97 आदेश दिनांक 6-11-96 की जानकारी सरपंच की शिकायत पर कलेक्टर रीवा को होने पर उन्होंने अपने पत्र क0 31 रीडर दिनांक 8-2-07 द्वारा अपर कलेक्टर को स्वमेव निगरानी के आदेश दिये गये और अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में दायर भी किया गया। इससे स्पष्ट है कि कलेक्टर/अपर कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी वर्ष 2007 में हो गयी थी, इस कारण अपर कलेक्टर द्वारा 17-1-14 अर्थात लगभग 7 वर्ष पश्चात प्रकरण स्वमेव निगरानी में पॅजीबद्व करना माननीय उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अत्यधिक वाह्य है। प्रश्नाधीन भूमियों का पंजीयत विकय पत्रों द्वारा अंतरण होने पर उसके आधार पर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज हो चुका है और पंजीयत विकय पत्र को शून्य या अकृत घोषित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है।

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 14-8-2014 में जब स्पष्ट कर दिया गया कि पंजीयत विकय पत्र को शून्य या अकृत घोषित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है तब कलेक्टर उपरोक्त विकय पत्रों से कय की गई वाद विचारित भूमियों के विकय पत्रों की जांच एंव विकय पत्र के आधार पर किये गये नामान्तरण की जांच कलेक्टर रीवा को करने की अधिकारिता इस आधार पर नहीं है क्योंकि :-

1. अपर कलेक्टर रीवा (कलेक्टर रीवा के समकक्ष न्यायिक प्रकिया की श्रवणाधिकारिता रखने वाले) प्रकरण कमांक 337 अ-6/2006-07 निगरानी में इसी भूमि, विषय वस्तु एंव तत्समय अभिलिखित भूमिस्वामियों के स्वाधिकारों के सम्बन्ध में जांच कर आदेश दिनांक 22-3-2007 से निर्णय दे चुके हों।
2. अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा (कलेक्टर रीवा से वरिष्ठ न्यायालय) प्रकरण कमांक 440/06-07निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-2-2008 से इसी भूमि, विषय वस्तु एंव तत्समय अभिलिखित भूमिस्वामियों के स्वाधिकारों के सम्बन्ध में निर्णय कर चुके हैं एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 19-2-2008 निगरानी के अभाव में अंतिम होकर **Resjudicata** हो।
3. कलेक्टर जिला रीवा व्दारा स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 3/14-14 में पारित आदेश दिनांक 3-6-14 को राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के प्रकरण कमांक 1476-तीन/14 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-8-14 से निरस्त किया जाकर कलेक्टर व्दारा की जा रही स्वमेव निगरानी को निरस्त कर दिया गया हो।

इस प्रकार कलेक्टर रीवा द्वारा उक्त न्यायालयीन आदेशों को नजरन्दाज करते हुये वाद विचारित भूमियों की जांच हेतु नये सिरे से नवीन प्रकरण प्रकरण कमांक 5 अ-19/14715 स्वमेव निगरानी अंतरिम आदेश दिनांक 22-12-14 से पॅजीबद्व करके जांच का निर्णय लेने में त्रुटि की गई है जिसके कारण कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्र0क0 05 अ- 19/ 2014-15 स्वमेव निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22-12-2014 निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है एंव कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 05 अ- 19/ 2014-15 स्वमेव निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22-12-2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर